जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय
बलिया

निर्वाधन/अनापत्ति हेतु
आवेदन–पत्र

जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया

आवेदन पत्र संख्या : अनापत्ति आ0प0–
जे0ए0सी0यू0: –2018–19
दिनांक :

अनापत्ति/निर्वाधन/अस्थायी/स्थायी सम्बद्धता हेतु शासन द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देश एवं मानक

जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया से सामान्य पाठ्यक्रमों हेतु अनापत्ति/अस्थायी/स्थायी सम्बद्धता हेतु रू0 तीन हजार मात्र एवं चिकित्सा सम्बन्धी पाठ्यक्रमों हेतु रू0 पॉच हजार मात्र विश्वविद्यालय के शुल्क काउन्टर पर नकद जमा कर रसीद प्राप्त कर निर्धारित आवेदन पत्र पर आवेदन करना होगा। शासनादेश संख्या–3075/सत्तर–2–2002(166)/2002, दिनांक 27 सितम्बर 2002, शासनादेश संख्या–585 मु0 मं0/सत्तर–2–2005(166)/2002, दिनांक 21.10.2005 तथा शासनादेश संख्या–743 मु0 मं0/सत्तर–2–2006–2 (166)/2002, दिनांक 07 नवम्बर 2006 एवं अद्यतन संशोधन के साथ प्रभावी शासनादेश द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देश एवं मानक की शर्तों को पूर्ण करते हुए प्रपत्र सं0–1 द्वारा निर्वाधन (क्लीयरेंस)/अनापत्ति (एन0ओ0सी0) हेतु आवेदन पत्र वांछित संलग्नकों सहित कुलसचिव को प्रस्तुत करना होगा। वांछित संलग्नको के साथ पूर्ण प्रस्ताव निम्नलिखित दिशा–निर्देश /मानक के अनुसार प्रस्तुत किया जाए।

(1) ऐसे प्रस्ताव न प्रस्तुत किये जायँ जिनमें प्रस्तावित महाविद्यालय द्वारा अनापत्ति एवं सम्बद्धता हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र का कोई भी कॉलम स्पष्ट रूप से न भरा गया हो। जैसे यदि किसी कॉलम के आगे यह अंकित किया गया हो कि विवरण संलग्न है तो वह अपूर्ण आवेदन पत्र की श्रेणी में होगा, जिसे पूर्ण कराने के पश्चात् ही संगत अभिलेखों की प्रमाणित प्रति के साथ प्रस्ताव संस्तुति सहित शासन को भेजने हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जाय।

(2) मानकानुसार भूमि व भवन की वर्गमीटर में उपलब्धता की सुस्पष्ट सूचना एवं अभिलेख उपलब्ध कराये जायँ। यदि भूमि कई गाटों/प्लाटों में है तो सक्षम अधिकारी (ए0डी0एम0) द्वारा जारी संयुक्तता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध कराया जाय जिसमें महाविद्यालय के रास्ते की चौड़ाई का मापन फीट में होने का स्पष्ट उल्लेख हो। महाविद्यालय राजस्व अभिलेखों की मूल या छाया प्रतियाँ सम्बन्धित तहसीलदार/उप जिलाधिकारी से प्रमाणित कराके ही प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा विचार न होगा।

(3) शासन के आदेश संख्या–4954/सत्तर–2–2008–2(166)/2002, दिनांक 10 अक्टूबर, 2008 द्वारा संशोधित समय सारिणी के अनुसार राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा सम्बद्धता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार वाँछित सूचनाएँ/अभिलेख उपलब्ध कराये जायेंगे। अन्यथा प्रस्ताव संस्तुत करना सम्भव नही होगा।

(4) सुसंगत शासनादेश में दिये गये प्राविधानानुसार निरीक्षण मण्डल के सदस्यों के साथ भवन का फोटोग्राफ, जिसमें भवन के चारों तरफ का फोटोग्राफ, चाहर दीवारी निर्मित होने का प्रमाण, व्याख्यान कक्षों, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला के सुसज्जन का निरीक्षण दल के साथ स्पष्ट फोटोग्राफ प्रस्ताव के साथ उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

(5) व्यवसायिक पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित मानक संस्थाओं द्वारा मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य होता है। अतः ए0आई0सी0टी0ई0, एन0सी0टी0ई0 अथवा बार काउन्सिलिंग ऑफ इण्डिया की परिधि में आने वाले पाठ्यक्रमों के लिए उनके द्वारा निर्धारित मानक की पूर्ति करने पर ही अनापत्ति/सम्बद्धन हेतु आवेदन–पत्र विचार हेतु प्रस्तुत किये जाए।

(6) विधि संकाय के पाठ्यक्रमों का प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाते समय बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार ही सम्बद्धन हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराये जायँ तथा विशेष रूप से विधि महाविद्यालयों हेतु पहुँच मार्ग एवं आवागमन के साधन की उपलब्धता के सम्बन्ध में सुस्पष्ट सूचना/प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाय। विधि पाठ्यक्रम त्रिवर्षीय/पंचवर्षीय में से एक ही पाठ्यक्रम की सम्बद्धता हेतु अनापत्ति का आवेदन–पत्र विचारणीय होगा।

(7) **उपरोक्त समस्त निर्देश/अनुबन्ध शासन के आदेशानुसार तात्कालिक प्रभाव से लागू हैं।**

महाविद्यालय की सम्बद्धता हेतु मानक

भूमि :	नगर निगम क्षेत्र	–	5000 वर्गमीटर
	नगर पालिका क्षेत्र	–	5000 वर्गमीटर
	शेष क्षेत्र	–	10,000 वर्गमीटर

कृषि महाविद्यालय के लिये उपर्युक्त मानकानुसार भूमि के अतिरिक्त न्यूनतम 15 एकड़ भूमि कृषि प्रायोगिक कार्य के लिये उपलब्ध होना अनिवार्य है।

(महिला महाविद्यालय की स्थिति में उपरोक्त की आधी भूमि)

विधि महाविद्यालय (त्रिवर्षीय)	–	1200 वर्गमीटर
विधि महाविद्यालय (पंचवर्षीय)	–	1500 वर्गमीटर

1. **भूमि महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज होने का प्रमाण।**

अथवा

भूमि संचालक सोसायटी/ट्रस्ट के नाम होने पर **महाविद्यालय के नाम 30 साल की पंजीकृत लीज डीड – भूमि एक जगह सटी होने का प्रमाण सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा।**

2. **(क)**	**भवन :** मानक के अनुसार स्नातक कला संकाय के 07 विषय हेतु	**06 व्याख्यान कक्ष (प्रत्येक)**	85 से 90 वर्गमीटर
(ख)	स्नातक विज्ञान संकाय के 05 विषय हेतु	**04 अतिरिक्त व्याख्यान कक्ष**	85 से 90 वर्गमीटर
		04 प्रयोगशाला कक्ष	80 वर्गमीटर
(ग)	स्नातक वाणिज्य संकाय हेतु	**03 अतिरिक्त व्याख्यान कक्ष**	85 से 90 वर्गमीटर
		प्रयोगशाला (प्रति विषय)	80 वर्गमीटर
		पुस्तकालय	80 वर्गमीटर
		अध्यापक कक्ष	20 वर्गमीटर
		कामन रूम	20 वर्गमीटर
	प्रशासनिक खण्ड (प्राचार्य, कार्यालय, परीक्षा कक्ष)		80 वर्गमीटर
		बरामदा	100 वर्गमीटर
		शौचालय (04 अलग–अलग)	08 वर्गमीटर
		पेयजल की सुविधा	

(घ) चिकित्सा सम्बन्धी पाठ्यक्रमों हेतु सम्बंधित निकाय के मानकानुसार भूमि एवं भवन आवश्यक है।

3. प्राचार्य/प्राध्यापकों की अनुमोदनोपरान्त नियुक्ति, संविदा प्रपत्र प्रबन्धक एवं प्रवक्ता के फोटो सहित।
4. अध्यापक उपस्थिति पंजिका तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की वेतन एवं उपस्थिति पंजिका।
5. वेतन पंजिका तथा बैंक से भुगतान होने का प्रमाण (पूर्व से संचालित महाविद्यालय की दशा में)।
6. **प्राभूत :** महाविद्यालय के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यूनतम 3 वर्ष हेतु एफ.डी. के रूप में जमा तथा कुलसचिव के पक्ष में बन्धक हो तथा विषय/संकाय का उल्लेख एफ.डी. पर हो।
7. पुस्तकालय में पुस्तकों का एक्सेसन रजिस्टर।

8. (क) प्रति विषय पुस्तकों का मूल्य–

	(अनावर्तक व्यय	(आवर्तक व्यय) प्रति वर्ष
कला संकाय के अप्रायोगिक विषय हेतु	रु. 10,000/– प्रति विषय	रु. 2000/–
प्रायोगिक विषय (गणित सहित)	रु. 15,000/– प्रति विषय	रु. 2000/–
विज्ञान संकाय हेतु	रु. 20,000/– प्रति विषय	रु. 3000/–
वाणिज्य एवं विधि संकाय हेतु	रु. 50,000/– प्रति विषय	रु. 5000/–
कृषि संकाय हेतु	रु. 75,000/– प्रति विषय	रु. 7000/–
स्नातकोत्तर विज्ञान तथा कृषि संकाय हेतु	रु. 75,000/– प्रति विषय	रु. 5000/–
स्नातकोत्तर कला प्रायोगिक	रु. 45,000/– प्रति विषय	रु. 5000/–
स्नातकोत्तर कला अप्रायोगिक	रु. 35,000/– प्रति विषय	रु. 4000/–
स्नातकोत्तर वाणिज्य/विधि	रु. 50,000/– प्रति विषय	रु. 7000/–

(ख) प्रयोगशाला उपकरण/सामग्री शासनादेश के अनुसार।

(ग) **काष्ठोपकरण :** कार्यालय काष्ठोपकरण/फर्नीचर तथा काष्ठोपकरण प्रयोगशाला एवं अध्यापन कक्ष हेतु मानकानुसार, शासनादेश के अनुसार/छात्र संख्या के आधार पर।

9. **प्राभूत राशि– स्नातक – कला संकाय –** दो लाख, **विज्ञान संकाय –** तीन लाख, **वाणिज्य संकाय –** दो लाख, **कृषि संकाय –** तीन लाख, **शिक्षा संकाय –** ढाई लाख, **विधि संकाय –** त्रिवर्षीय चार लाख, पंचवर्षीय छः लाख, **स्नातक अतिरिक्त विषय** (प्रति विषय रु. पचास हजार कला संकाय, रु. पचपन हजार विज्ञान संकाय), **स्नातकोत्तर प्रति अप्रायोगिक विषय** रु. 75 हजार, **वाणिज्य** एवं **प्रायोगिक** विषय दो लाख, **बी.बी.ए. –** तीन लाख, **बी.सी.ए. –** तीन लाख।

10. सोसायटी/ट्रस्ट के खाते में संकायवार न्यूनतम धनराशि जमा होने का प्रमाण–

1.	स्नातक स्तर पर कला संकाय के सात विषयों हेतु	रु. 05.00 लाख
2.	स्नातक स्तर के प्रत्येक अतिरिक्त विषय हेतु	रु. 01.00 लाख
3.	स्नातक स्तर के वाणिज्य संकाय हेतु	रु. 07.00 लाख
4.	विज्ञान संकाय के स्नातक स्तर के पाँच परम्परागत विषय हेतु	रु. 10.00 लाख
5.	विज्ञान संकाय के स्नातक स्तर के प्रत्येक नवीन पाठ्यक्रम हेतु	रु. 05.00 लाख
6.	स्नातक स्तर के कृषि/बी.बी.ए./बी.सी.ए./बी.पी.ई. के प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु	रु. 10.00 लाख
7.	विधि (त्रिवर्षीय) पाठ्यक्रम हेतु	रु. 10.00 लाख
8.	विधि (पंचवर्षीय) पाठ्यक्रम हेतु	रु. 10.00 लाख
9.	बी.एड./बी.पी.एड. के प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु	रु. 15.00 लाख
10.	एम.एड./एम.पी.एड. के प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु	रु. 15.00 लाख
11.	बी.ए.–बी.एड./बी.एल.एड. के प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु	रु. 10.00 लाख

11. क्रीड़ा हेतु खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की उपलब्धता मानकानुसार।

12. सोसायटी पंजीकरण एवं नवीनीकरण प्रमाण–पत्र।

13. प्रबन्ध समिति का अनुमोदन – विश्वविद्यालय द्वारा।

14. नजरी नक्शा भूमि/भवन के स्थल का, रकबा वर्गमीटर में।

15. भवन का ब्लू प्रिन्ट/नक्शा।

16. **सम्बद्धता शुल्क : बी.बी.ए. एवं बी.सी.ए. हेतु रु. 2.00 लाख प्रत्येक पाठ्यक्रम तथा अन्य संकाय हेतु रु. 1.50 लाख, अतिरिक्त विषय– अप्रायोगिक हेतु रु. 30 हजार प्रति विषय, प्रायोगिक विषय हेतु रु. 50 हजार प्रति विषय, बी0वाक0 1.50 लाख प्रति कोर्स, चिकित्सा विज्ञान–बी0ए0एम0एस0/नर्सिंग/बी0पी0टी, 1.00 लाख एवं एम0बी0बी0एस0 5.00 लाख प्रति वर्ष।**

जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया

निर्वाधन (क्लीयरेंस)/अनापत्ति (एन.ओ.सी.) हेतु आवेदन–पत्र

आवेदन पत्र संख्या : अनापत्ति–
आ0प0– जे0ए0सी0यू0:
–2018–19 दिनांक :

1. संस्थान/महाविद्यालय का नाम–
2. संचालन सोसायटी/ट्रस्ट का नाम–
3. सोसायटी/ट्रस्ट के पंजीकरण/नवीनीकरण की स्थिति सप्रमाण–
4. पाठ्यक्रम का नाम, जिसके लिये निर्वाधन/ अनापत्ति वाँछित है–
5. महाविद्यालय/संस्थान पुराना है तो चल रहे समस्त सम्बद्धता प्राप्त पाठ्यक्रमों का विवरण–
6. जिस स्थान पर महाविद्यालय स्थापित किया जा रहा है उसके पास 15 किमी. की परिधि में कितने महाविद्यालय हैं?
7. प्रस्तावित स्थान से उनकी दूरी क्या है?
8. उस क्षेत्र में 15 किमी. की परिधि में स्थित महाविद्यालयों में क्या–क्या पाठ्यक्रम संचालित हैं?
9. उस क्षेत्र में उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति विद्यमान महाविद्यालयों को देखते हुये किस सीमा तक अपूर्ण रह जाती है?
10. क्या प्रस्तावित स्थान पर नवीन महाविद्यालय खोलने से उस क्षेत्र में विद्यमान महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु स्वीकृत छात्र संख्या पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव के प्रस्तावित नये महाविद्यालय में प्रथम वर्ष में न्यूनतम 100 छात्र उपलब्ध हो सकेंगे?
11. क्या विद्यमान महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम से सम्बद्धता की संस्तुति करने पर क्षेत्र के अन्य महाविद्यालयों पर बिना किसी कुप्रभाव के स्नातक स्तर पर 60 छात्र तथा स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 30 छात्र उपलब्ध हो सकेंगे?
12. महाविद्यालय/संस्थान के नाम के साथ राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय, अखिल भारतीय या इसके समतुल्य नाम अंकित तो नहीं है तथा महाविद्यालय/ संस्थान का नाम जीवित व्यक्ति या जाति विशेष के नाम पर तो नहीं है?

13. महाविद्यालय/संस्थान को संचालित करने वाली संस्था/ट्रस्ट के आय के स्रोत, पूर्ववर्ती तीन वर्षों में अर्जित वार्षिक आय का सप्रमाण विवरण।
14. यदि महाविद्यालय पूर्व में संचालित है तो स्नातक/परास्नातक स्तर पर कितने विषयों/ पाठ्यक्रमों में कब से शिक्षण हो रहा है तथा प्रत्येक पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों की संख्या।
15. पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों का विगत तीन वर्षों का परीक्षाफल का विवरण।
16. पूर्व में संचालित पाठ्यक्रमों में नियुक्त शिक्षकों का अर्हता सहित प्रत्येक शिक्षक की नियुक्ति की प्रकृति (उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से चयनित, विनियमित अथवा कुलपति का अनुमोदन प्राप्त) का विवरण।
17. महाविद्यालय संस्थान/सोसायटी या ट्रस्ट के नाम उपलब्ध भूमि का विवरण (क्षेत्र के किसी राजस्व अधिकारी से सत्यापित अभिलेखीय साक्ष्यों के साथ)।
18. प्रस्तावित पाठ्यक्रम हेतु उपलब्ध भवन का स्पष्ट विवरण (भवन का छायाचित्र एवं नक्शा सहित)।
19. यदि परास्नातक पाठ्यक्रम के निर्वाधन/अनापत्ति वाँछित है तो उससे सम्बन्धित स्नातक स्तरीय विषय की मान्यता की अवधि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की धारा–2एफ में पंजीकरण का प्रमाण सहित विवरण तथा प्रस्तावित महाविद्यालय/संस्थान/ पाठ्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र या नगर निगम क्षेत्र में संचालित होने का सप्रमाण विवरण तथा प्रस्तावित महाविद्यालय से निकटवर्ती महाविद्यालय/महाविद्यालयों का नाम जहाँ उक्त पाठ्यक्रम पूर्व से संचालित हों तथा उनकी दूरी का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।

संस्था/महाविद्यालय के प्रबन्धक/सचिव का हस्ताक्षर

दिनांक–

चेक लिस्ट
अनापत्ति

1. शासनादेश दिनांक 09 अगस्त, 2012 द्वारा विश्वविद्यालय स्तर पर अनापत्ति/सम्बद्धता की संस्तुति हेतु गठित समिति की संस्तुति का प्रमाण।
2. महाविद्यालय को संचालित करने वाले समिति/ट्रस्ट के **पंजीकरण एवं वैधता** की स्थिति।
3. महाविद्यालय की मानकानुसार भूमि महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित होने से सम्बन्धित **खतौनी मूल रूप** में या **छायाप्रति तहसीलदार/उप जिलाधिकारी** से प्रमाणित होने की स्थिति।
4. महाविद्यालय की भूमि के समस्त गाटों का **संयुक्तता प्रमाण** पत्र एवं **नजरी नक्शा मूल रूप** में अथवा सक्षम राजस्व अधिकारी से प्रमाणित प्रमाणित होने की स्थिति जिसमें **मार्ग की चौड़ाई** का मापन फीट में होने का भी उल्लेख हो।
5. महाविद्यालय नगर निगम, नगरपालिका व नगर पंचायत में अवस्थित होने की स्थिति में संदर्भगत निकाय के सक्षम अधिकारी का **मूल प्रमाण पत्र** उपलब्ध होने की स्थिति।
6. सोसाइटी/ट्रस्ट की **विगत 3 वर्षो की सी0ए0 द्वारा प्रमाणित** बैलेन्स शीट अथवा तहसीलदार द्वारा प्रमाणित **सोसाइटी की वार्षिक आय** का मूल प्रमाण पत्र।
7. मानकानुसार सोसाइटी/महाविद्यालय के बचत खाते में जमा धनराशि के सम्बन्ध में **बैंक स्टेटमेंट की मूल** प्रति।
8. प्रबन्धतन्त्र के द्वारा आवेदन पत्र में अंकित विवरण/प्रविष्टियाँ तथ्यों पर आधारित एवं सही हैं, का रु0 50/– के स्टाम्प पेपर मे नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र मूल रूप में होने की स्थिति।
9. प्रबन्धतन्त्र के द्वारा महाविद्यालय स्थापित होने के समय एवं अन्य अनापत्ति प्रमाण पत्रों के सम्बन्ध में उन्हीं भूखण्डो पर महाविद्यालय में अन्य पाठ्यक्रम हेतु अनापत्ति प्रस्तावित किये जाने का रु0 50/– के स्टाम्प पेपर मे नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र मूल रूप में होने की स्थिति।
10. स्नातकोत्तर विषयों हेतु यू0जी0सी0 की धारा–2(एफ) में पंजीकृत होने की स्थिति।
11. महाविद्यालय स्थापित होने के समय प्राप्त एवं संचालित पाठ्यक्रम व विषयों की अनापत्ति की स्थिति।
12. महाविद्यालय में पूर्व संचालित पाठ्यक्रम व विषयों की स्थायी सम्बद्धता प्राप्त होने की स्थिति।
13. मानकानुसार शिक्षक व प्राचार्य/विभागाध्यक्ष का अनुमोदन विश्वविद्यालय से होने का प्रमाण पत्र एवं नियुक्ति की संविदा अवधि।
14. पूर्व में संचालित महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर कितने विषयों/पाठयक्रमों में शिक्षण हो रहा है तथा प्रत्येक पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों की संख्या।
15. स्नातक स्तर पर स्वीकृत पाठ्यक्रमों में विगत 03 वर्षों का विषयवार परीक्षाफल।
16. पी0जी0 स्तर के विषयों हेतु 15 कि0मी0 की परिधि में संदर्भगत विषय संचालित न हो।
17. पी0जी0 स्तर के विषयों हेतु विगत 03 वर्ष का परीक्षाफल अविछिन्न एवं 60 प्रतिशत से कम न हो।
18. पी0जी0 स्तर के विषयों हेतु महिला महाविद्यालय में 300 व सहशिक्षा में 500 छात्र संख्या हो।
19. नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के अनुरूप महाविद्यालय भवन निर्माण होने के सम्बन्ध में **अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग** या **अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग** द्वारा जारी, पत्रांक एवं दिनांक सहित प्रमाण पत्र एवं भवन का मानचित्र के उपलब्धता की स्थिति।
20. महाविद्यालय की वेबसाइट की उपलब्धता की स्थिति।
21. महाविद्यालय के प्रस्तावित भवन के मानचित्र के सत्यापित ब्लू प्रिंट की उपलब्धता की स्थिति।
22. पूर्व से संचालित महाविद्यालयों की स्थिति में अग्निशमन व्यवस्था हेतु उपकरण की उपलब्धता के सम्बन्ध में **अद्यावधिक अग्निशमन प्रमाण पत्र** के उपलब्धता की स्थिति।
23. महाविद्यालय के अनापत्ति प्रस्ताव की सी0डी0 की उपलब्धता की स्थिति।

नोटः–

1. **कृपया सम्बंधित पाठ्यक्रम/विषयों की अनापत्ति हेतु उपर्युक्त क्रम के अनुसार हीं पत्रावली प्रस्तुत करें।**
2. **सम्बंधित अभिलेख अनुपलब्ध होने/अपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में प्रस्ताव निरस्त होने पर समस्त जिम्मेदारी संस्था/महाविद्यालय प्रबंधन की होगी विश्वविद्यालय इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।**

आवेदन पत्र संख्या : अनापत्ति आ0प0– जे0एन0सी0यू : –2019